अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2019 (RCMS 2019/00252) सतिन्द्र सिह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी गांव करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम उप पंजीयक एवं लोक सूचना अधिकारी महोदय, कार्यालय तहसीलदार, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सतिन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उप पंजीयक एवं लोक सूचना अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक श्रीगंगानगर से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सतिन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2019 के द्वारा उप पंजीयक, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः

1. श्रीमती प्रीतम कौर जोजा श्री सरजीत सिंह जाति सोना निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा वाके मण्डी सादुलशहर में एक रिहायसी अहाता नम्बर 144 बसाईज 30 गुणा 60 फुट तामीरशुदा सैक्टर नं. 02 के वार्ड नं. 6, सादुलशहर का एक इकरारनामा सौदा बय मुबलिग 21000/– रूपये बहक श्री अवतार सिंह पुत्र श्री मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को दिनांक 2410.1983 को जरिये इकरारनामा सौदा बैय स्टाम्प कीमती 50 रूपये पर तहरीर करवाकर बेचा था, जिसके बाद उक्त

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इकरारनामा के आधार पर उक्त अहाता की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय सादुलशहर में हुई थी। इकरारनामा सौदा बैय दिनांक 24.10.1983 व रकम जमा कराने के चालानों की प्रतिलिपियां संलग्न है। **उक्त इकरारनामा के आधार पर आज तक उप पंजीयक कार्यालय सादुलशहर में कितनी रजिस्ट्रीयां हुई है?** समस्त रजिस्ट्रीयों व उनके साथ संलग्न किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा प्रमाण पत्र अथवा मुख्तयारनामा जो भी संलग्न है, समस्त की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवावें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उप पंजीयक, सादुलशहर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2019/92 दिनांक 15.10.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उसे निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषय में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2019 प्राप्त हुआ है। जिसके साथ आप द्वारा एक इकरारनामा की प्रति संलग्न कर उक्त इकरारनामा के आधार पर तहसील सादुलशहर में कितनी रजिस्ट्रीयां हुई है। उनकी प्रमाणित प्रतियां एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी चाही गई है। चूंकि आप द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि इकरारनामा के आधार रजिस्ट्रीयां कौनसी दिनांक को हुई है, जिसके अभाव में आपको आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

-sd-
उप पंजीयक
सादुलशहर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाए प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए उप पंजीयक, सादुलशहर द्वारा जो दिनांक 15.10.19 से उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप पंजीयक, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ्. तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर